



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

pD. 250

Km. 30

CPB. 220

b

सं. 1 ]

नई दिल्ली, शुकवार, जनवरी 2, 2004/पौष 12, 1925

No. 1 ]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2004/PAUSA 12, 1925

प्रभार  
श. वि. ६२

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2004

सा.का.नि. 1(अ).—केन्द्र सरकार का, पदार्थों (प्राकृतिक अथवा संश्लेषी), अथवा प्राकृतिक सामग्री की प्रकृति और प्रभाव एवं ऐसे पदार्थों से संबंधित उपांतरणों तथा मनःप्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1971 में शामिल किए गए परिवर्तनों के संबंध में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर समाधान हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर सांपत्तिक नाम	अन्य गैर-सांपत्तिक नाम	रासायनिक नाम
"110			एमीनेपटीन (7-[(10, 11-डिहाइड्रो-5एच-डिबेंजो [ए, डी] सायक्लोपटीन-5-वाईएल) एमीनो]हेप्टेनाइक अम्ल)"

2. क्रम सं. 110 पर की प्रविष्टि "लवण एवं उपर्युक्त की निर्मितियाँ" को क्रम सं. 111 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

टिप्पण : स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची का.आ. 785(अ), तारीख 26-10-92, का.आ. 49(अ), तारीख 8-1-93, का.आ. 39(अ), तारीख 12-1-96, सा.का.नि. 475(अ), तारीख 11-6-2003 और सा.का.नि. 621(अ), तारीख 1-8-2003 द्वारा संशोधित की गई है।

[फा. सं. I/1/2002-एन.सी. II (भाग III)]

श्यामला मोहन, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2004

**G.S.R. 1(E).**—Whereas the Central Government is satisfied on the basis of information and evidence which is available with it with respect to the nature and effect of the substances (natural or synthetic), or natural material and the modifications with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Schedule of that Act, namely :—

S. No.	International Non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical Name
"110			amineptine (7-[(10, 11-dihydro-5H-dibenzo [a,d] cyclohepten-5-yl) amino] heptanoic acid)"

2. The entry at serial number 110 "Salts and Preparation of the above" shall be renumbered as serial No. 111.

**Note :** The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) has been amended via S.O. 785(E) dated 26-10-92, S.O. 49(E) dated 8-1-93, S.O. 39(E) dated 12-1-96, S.O. 475(E) dated 11-6-2003 and G.S.R. 621(E) dated 1-8-2003.

[F. No. I/1/2002-NC. II (Pt. III)]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.